रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268977 CG-DL-E-31122025-268977

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 862]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 862]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 03/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 951(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2026 को उस दिनांक के रूप में नियुक्त करती है जिससे केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधान प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/72/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा. अवर सचिव

8886 GI/2025 (1)

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 03/2025-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 951(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Central Excise (Amendment) Act, 2025 (34 of 2025), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2026, as the date on which the provisions of the said act, shall come into force.

[F. No. CBIC-190349/72/2025-TRU]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 04/2025- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 952(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे आगे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करती है:-

- (i) अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची की टैरिफ मद 2403 99 10 के अंतर्गत चबाने वाला तंबाकू,
- (ii) अधिनियम की टैरिफ मद 2403 99 30 के अंतर्गत जर्दा सुगंधित तंबाकू, और
- (iii) अधिनियम की टैरिफ मद 2403 99 90 के अंतर्गत गुटखा।

जो पैर्किंग मशीन की सहायता से निर्मित किए जाते हैं और पाउच में पैक किए जाते हैं, को अधिसूचित वस्तुओं के रूप में अधिसूचित किया जाता है, जिन पर उक्त धारा 3क के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा और संग्रहित किया जाएगा;

स्पष्टीकरण 1.- संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि टैरिफ मद 2403 99 10 के अंतर्गत आने वाली चबाने वाली तंबाकू में फिल्टर खैनी भी शामिल है;

स्पष्टीकरण 2- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "पैकिंग मशीन" में सभी प्रकार की वर्टिकल फॉर्म फिल सील मशीनें और हॉरिजॉन्टल मशीनें शामिल हैं, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारी जाएं, चाहे वे वर्टिकल हों या हॉरिजॉन्टल, सिंगल-ट्रैक या मल्टी-ट्रैक और अधिसूचित वस्तुओं के पाउच को पैक करने के लिए प्रयुक्त किसी अन्य प्रकार की पैकिंग मशीन।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/72/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 04/2025-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 952(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby specifies,-

- (a) chewing tobacco falling under tariff item 2403 99 10 of the Fourth Schedule of the Act,
- (b) jarda scented tobacco falling under tariff item 2403 99 30 of the said Schedule of the Act, and
- (c) Gutkha falling under tariff item 2403 99 90 of the said Schedule of the Act;

manufactured with the aid of packing machine and packed in pouches, as notified goods, on which there shall be levied and collected duty of excise in accordance with the provisions of the said section 3A.

Explanation 1. – For the removal of doubts, it is clarified that, chewing tobacco under tariff item 2403 99 10 includes filter khaini;

Explanation 2. - For the purposes of this notification, "packing machine" includes all types of vertical Form Fill Seal machine machines and horizontal machine, by whatever names called, whether vertical or horizontal, single-track or multi-track and any other type of packing machine used for packing of pouches of notified goods.

2. This notification shall come into force on the 1st day of February, 2026.

[F. No. CBIC-190349/72/2025-TRU]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 05/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 953(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उप-धारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "चबाने वाली तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीनें (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2026" है।
 - (2) ये नियम 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "अधिनियम" का अर्थ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) है;
- (ख) "बोर्ड" का अर्थ राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अंतर्गत गठित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है;
- (ग) "चबाने वाली तंबाकू" का अर्थ अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची की टैरिफ मद 2403 99 10 के अंतर्गत आने वाली फिल्टर खैनी सहित चबाने वाली तंबाकू है;

- (घ) "गुटखा" का अर्थ पान मसाला जिसमें तंबाकू हो और जो अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची की टैरिफ मद 2403 99 90 के अंतर्गत आता है;
- (ड) "समान वस्तुएं" का अर्थ वस्तुएं हैं जो सभी प्रकार से एक समान हैं, जिनमें भौतिक विशेषताएं और गुणवत्ता मूल्यांकन की जा रही वस्तुओं के समान हैं, सिवाय दिखावट में मामूली अंतर के जो वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित नहीं करते;
- (च) "जर्दा सुगंधित तंबाकू" का अर्थ अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची की टैरिफ मद 2403 99 30 के अंतर्गत आने वाली जर्दा सुगंधित तंबाकू है;
- (छ) "अधिसूचित वस्तुएं" का अर्थ अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित चबाने वाली तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा है;
- (ज) "पैकिंग मशीन" में सभी प्रकार की फॉर्म, फिल और सील (एफएफएस) मशीनें और हॉरिजॉन्टल पाउच निर्माण मशीन शामिल हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, चाहे वह वर्टिकल हों या हॉरिजॉन्टल, सिंगल ट्रैक या मल्टी-ट्रैक, और अधिसुचित वस्तुओं की पाउच को पैक करने के लिए प्रयुक्त किसी अन्य प्रकार की पैकिंग मशीन;
- (झ) "खुदरा विक्रय मूल्य" का अर्थ अधिकतम मूल्य है जिस पर निर्दिष्ट वस्तुएं पैकेज के रूप में अंतिम उपभोक्ता को बेची जा सकती हैं और इसमें सभी कर, स्थानीय या अन्यथा, मालभाड़ा, परिवहन शुल्क, डीलरों को देय आयोग, और विज्ञापन, डिलीवरी, पैकिंग, अग्रेषण और इसी तरह के सभी शुल्क शामिल हैं और मूल्य बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल है:

परंतु जहां पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हैं, ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय मूल्य माना जाएगा:

परंतु और कि यदि अधिसूचित वस्तुएं वाणिज्यिक पैकेजों में निकाली जाती हैं जिनमें खुदरा विक्रय मूल्य के साथ घोषित मानक पैकेजों की एक संख्या होती है, तो ऐसे घोषित खुदरा विक्रय मूल्य को तालिका में संदर्भित संबंधित क्रम संख्या के अंतर्गत शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए विचार में लिया जाएगा;

- (ञ) "समरूप वस्तुएं" का अर्थ वस्तुएं हैं जो सभी प्रकार से एक समान न होते हुए भी, समान विशेषताएं और समान कच्चे माल हैं जो उन्हें समान कार्य करने में सक्षम बनाता है और मूल्यांकन की जा रही वस्तुओं के साथ वाणिज्यिक रूप से परस्पर विनिमेय हैं।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त परंतु परिभाषित न की गई शब्दावली और अभिव्यक्तियां वह अर्थ रखेंगी जो उन्हें अधिनियम में दी गई है।
- 3. **प्रयोज्यता** ये नियम अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित चबाने वाली तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा के संबंध में लागू होंगे।
- 4. उत्पादन से संबंधित कारक अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित कारक निर्माता के कारखाने में पैर्किंग मशीनों की संख्या और ऐसी पैर्किंग मशीनों की अधिकतम उत्पादन क्षमता होंगे जो विविध खुदरा विक्रय मूल्य वाली अधिसूचित वस्तुओं को पैक करने के लिए हों।
- 5. **मानित उत्पादन की मात्रा -** (1) अधिसूचित वस्तुओं की मात्रा, जिसका खुदरा विक्रय मूल्य नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में अधिसूचित है, एक संचालित पैकिंग मशीन के प्रयोग द्वारा माना जाता है, जिसकी अधिकतम क्षमता जिस पर इसे अधिसूचित वस्तुओं को पैक करने के लिए संचालित किया जा सकता है वह तालिका के स्तंभ (3) या स्तंभ (5) या स्तंभ (6) में अधिसूचित है, यथास्थिति, प्रति माह तालिका में अधिसूचित संगत प्रविष्टि के बराबर होगी:-

तालिका

क्रम सं.	खुदरा विक्रय मूल्य (प्रति पाउच)	अधिसूचित वस्तुओं के ि	लेए प्रति पैकिंग मशीन प्र की संख	~	कतम क्षमता (पाउच
		500 पाउच प्रति मिनट तक	501-1000 पाउच प्रति मिनट तक	1001-1500 पाउच प्रति मिनट तक	1501+ पाउच प्रति मिनट से ऊपर
1	2.00 रु. तक	1,12,32,000	2,24,64,000	3,36,96,000	22,464 x S
2	2.00 रु. से अधिक	1,01,08,800	2,02,17,600	3,03,26,400	20,218 x S

जहां 'S' उपरोक्त में पैकिंग मशीन की अधिकतम दर गति को प्रति मिनट दर्शाता है जिसके लिए शुल्क की दर निर्धारित की जानी है।

व्याख्या.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यदि मल्टीपल ट्रैक या मल्टीपल लाइन पैकिंग मशीनें हैं जो अधिसूचित वस्तुओं को पाउच में पैक करने के अलावा, ब्रांड को अलग करने या सामान की जालसाजी को रोकने आदि के उद्देश्य से ऐसी थैलियों को मोल्डिंग और एक निश्चित आकार देने में अतिरिक्त प्रक्रियाएं करती हैं, तो ऐसी दो ट्रैकें या लाइनें प्रति संचालित पैिकेंग मशीन प्रति माह थैलियों की संख्या की गणना के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्तिगत पैिकेंग मशीन मानी जाएंगी: बशर्ते कि मल्टीपल ट्रैक या मल्टीपल लाइन पैिकेंग मशीन के मामले में, जो ऐसी अतिरिक्त प्रक्रियाएं करने में असमर्थ हैं, ऐसी एक ट्रैक या लाइन को प्रति संचालित पैिकेंग मशीन प्रति माह थैलियों की संख्या की गणना के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्तिगत पैिकेंग मशीन माना जाएगा।

- (2) वार्षिक उत्पादन क्षमता का निर्धारण एक माह में माना जाने वाली अधिसूचित वस्तुओं की मात्रा को बारह से गुणा करके किया जाएगा।
- **6. पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल की जाने वाली घोषणा -** (1) अधिसूचित वस्तुओं का प्रत्येक निर्माता 7 फरवरी, 2026 को या पहले अथवा अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण की तारीख से सात दिन के भीतर, यथास्थिति, पोर्टल पर फार्म सीई डीईसी-01 में एक घोषणा दाखिल करेगा।
- (2) निर्माता फार्म सीई डीईसी-01 में अपेक्षित विवरण घोषित करेगा, जिसमें गियरबॉक्स अनुपात, फनलों की संख्या, ट्रैकों की संख्या और मुख्य मोटर की प्रति मिनट क्रांतियां, जैसा कि चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा फार्म सीई डीईसी-01 में प्रमाणित है।
- (3) निर्माता नियम 4 के अंतर्गत उत्पादन से संबंधित कारकों में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में या किसी मशीन की स्थापना, जोड़ या शुरुआत के मामले में, पंद्रह दिनों के भीतर एक ताजी घोषणा दाखिल करेगा:
- परंतु नियम 7 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा, यथास्थिति, आदेश जारी किए जाने तक कोई ताजी घोषणा दाखिल नहीं की जा सकती।
- 7. घोषणा का सत्यापन (1) नियम 6 के अंतर्गत दाखिल की गई घोषणा की प्राप्ति पर, अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यथास्थिति, नब्बे दिनों के भीतर सत्यापन करेंगे, जिसमें निम्न शामिल हो सकता है:-
 - (क) कारखाने का भौतिक निरीक्षण;

- (ख) मशीन की तकनीकी विशेषताओं, जिसमें मशीन की अधिकतम दर गति शामिल है, का सत्यापन; और
- (ग) यदि आवश्यक समझा जाए तो एक तृतीय-पक्षीय तकनीकी विशेषज्ञ से परामर्श।
- 8. क्षमता का निर्धारण (1) यदि नियम 6 के अंतर्गत दाखिल की गई घोषणा में कोई विसंगति नहीं पाई जाती है, तो अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यथास्थिति, नियम 7 के अंतर्गत सत्यापन की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर मशीनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता का निर्धारण करते हुए एक आदेश जारी करेंगे।
- (2) जहां अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यथास्थिति, नियम 6 के अंतर्गत दाखिल की गई घोषणा में कोई विसंगति पाते हैं जो मशीनों की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है, वह निर्माता को ऐसी विसंगति से अवगत कराएंगे और नियम 7 के अंतर्गत सत्यापन की तारीख से तीस दिन से अधिक की अविध में, निर्माता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उत्पादन क्षमता का निर्धारण करते हुए एक आदेश जारी करेंगे।
- (3) निर्माता को उप-नियम (2) के अंतर्गत जारी आदेश के बाद की अवधि के लिए निर्धारित क्षमता के अनुसार शुल्क का भुगतान करने का दायित्व है और यदि कोई हो तो विभेदक शुल्क की राशि का भुगतान ब्याज सहित करना होगा, जो
 - (क) मशीन की स्थापना की तिथि, जहाँ घोषणा नियम 6 के उप-नियम (1) के तहत दायर की जाती है; या"
 - (ख) उत्पादन से संबंधित किसी भी कारक में परिवर्तन की तारीख, या किसी मशीन की स्थापना, जोड़ने या शुरू करने की तारीख, जैसा भी मामला हो, जहाँ नियम 6 के उप-नियम (3) के तहत घोषणा दाखिल की जाती है;
 - यथास्थिति, और ऐसी विभेदक राशि के वास्तविक भुगतान की तारीख तक गणना की जाएगी।
- 9. देय शुल्क की गणना (1) किसी विशेष माह के लिए देय शुल्क की गणना अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचित शुल्क की उपयुक्त दर के अनुप्रयोग द्वारा की जाएगी: बशर्ते कि नए निर्माता के मामले में, पहले माह के लिए देय शुल्क प्रो-राता आधार पर गणना की जाएगी, उस माह में कुल दिनों और मशीन की स्थापना की तारीख से शुरू होने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए और ऐसा शुल्क स्थापना के पांच दिन के भीतर का भुगतान किया जाएगा।
- (2) यदि माह के दौरान किसी मशीन की जोड़, स्थापना, हटाने या अनस्थापन की स्थिति में, उप-नियम (1) के अंतर्गत शुल्क की गणना के प्रयोजनों के लिए, माह के लिए स्थापित मशीनों की संख्या माह के किसी भी दिन स्थापित अधिकतम संख्या मानी जाएगी।
- **10. उपशमन** (1) यदि किसी मशीन ने पंद्रह दिन या उससे अधिक की निरंतर अविध के दौरान अधिसूचित वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया है, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर प्रो-राता आधार पर गणना किए गए शुल्क को ऐसी अविध के संबंध में कम किया जाएगा, अर्थातु:-
 - (क) निर्माता अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को कम से कम तीन कार्य दिवसों से पहले अधिसूचित करेगा कि पंद्रह दिन या उससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए स्थापित मशीन के गैर-संचालन का अनुरोध करते हुए, मशीन को सील करने की मांग करेगा;
 - (ख) पैकिंग मशीन को अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा, यथास्थिति, अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर इस तरह से सील किया जाएगा कि इसे संचालित नहीं किया जा सकता:
 - (ग) सील की अवधि के दौरान अधिसूचित वस्तुओं के लिए कोई निर्माण गतिविधि उक्त मशीन पर नहीं की जाएगी।

- (2) यदि निर्माता उप-नियम (1) के अंतर्गत ह्रास के लिए पात्र है, तो वह उप-नियम (2) के अंतर्गत दाखिल किए गए आवेदन के लिए माह की 20 तारीख को या उससे पहले अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को एक आवेदन प्रस्तुत करके ऐसा ह्रास दावा करेगा, जिसके लिए उपशमन दावा किया जा रहा है।
- (3) अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यथास्थिति, उप-नियम (2) के अंतर्गत दाखिल किए गए दावे के सत्यापन के बाद, ऐसे आवेदन की प्रस्तुति के पंद्रह दिन के भीतर एक आदेश जारी करेंगे, जिसमें मशीनों के गैर-संचालन की अविध द्वारा कवर किए गए प्रत्येक माह के लिए शुल्क दायित्व का ह्रास मंजूर किया जाएगा, जिसे उस माह के लिए देय शुल्क दायित्व के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, जिसमें ऐसा आदेश जारी किया गया है:

परंतु उपशमन के दावे को अस्वीकार करने वाला कोई आदेश, चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से, निर्माता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

- 11. उपशमन राशि का निर्धारण उपशमन की राशि का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:
 उपशमन राशि = (माह के लिए मशीन का उत्पाद शुल्क दायित्व x माह में मशीन गैर-संचालित रहने के दिनों की कुल संख्या)
 / (माह में कुल दिन)
- 12. सील हटाना और संचालन फिर से शुरू करना निर्माता अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को तीन कार्य दिवसों से पहले अवगत कराएगा, जिस तारीख से वह सील की गई मशीन पर संचालन फिर से शुरू करने का इरादा रखता है, और तब वह अधिकार क्षेत्र के अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की भौतिक देखरेख में सील हटाया जाएगा, यथास्थिति।
- 13. शुल्क और ब्याज का भुगतान का तरीका (1) अधिसूचित वस्तुओं पर मासिक शुल्क उसी माह की 6 तारीख को दिया जाएगा और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार मासिक रिटर्न दाखिल किया जाएगा।
- (2) निर्माता उसी माह की 10 तारीख तक फार्म सीई पीएमटी 01 में एक विवरण भी प्रस्तुत करेगा।
- (3) यदि निर्माता देय तारीख तक शुल्क की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह अधिनियम की धारा 11एए की उप-धारा (2) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर बकाया राशि पर ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करने का दायी होगा।
- (4) यदि माह के दौरान कारखाने में संचालित पैकिंग मशीनों की संख्या पैकिंग मशीनों की जोड़ या स्थापना के कारण बढ़ती है, तो विभेदक शुल्क राशि, यदि कोई हो, मशीन की जोड़ या स्थापना के पांच दिन के भीतर, या अधिकतम दर गति में परिवर्तन के भीतर दिया जाएगा।
- (5) यदि निर्माता किसी विद्यमान खुदरा विक्रय मूल्य की वस्तुओं का निर्माण स्थायी रूप से बंद कर देता है, या माह के दौरान किसी नए खुदरा विक्रय मूल्य की वस्तुओं का निर्माण शुरू कर देता है, या एक स्थापित मशीन का निपटान कर देता है, तो मासिक शुल्क की पुनः गणना माह में कुल दिनों के प्रो-राता आधार पर की जाएगी और ऐसे निरंतरता या शुरुआत से शेष दिनों और माह का शुल्क दायित्व माह की 6 तारीख को अगले माह के शुल्क दायित्व से अलग नहीं माना जाएगा यदि विभेदक शुल्क अगले माह की 6 तारीख को दिया जाता है और यदि इस तरह पुनः गणना की गई शुल्क राशि माह के लिए दिए गए शुल्क से कम है, तो संतुलन को अगले माह की 20 तारीख को निर्माता को रिफंड दिया जाएगा।
- (6) यदि अधिनियम की धारा 3क के अंतर्गत देय शुल्क की दर में संशोधन होता है, तो मासिक शुल्क की पुनः गणना माह में कुल दिनों के प्रो-राता आधार पर की जाएगी और ऐसे संशोधन से शेष दिनों और माह का शुल्क दायित्व माह की 6

तारीख को अगले माह के शुल्क दायित्व से अलग नहीं माना जाएगा यदि विभेदक शुल्क अगले माह की 6 तारीख को दिया जाता है और यदि इस तरह पुनः गणना की गई शुल्क राशि माह के लिए दिए गए शुल्क से कम है, तो संतुलन को अगले माह की 20 तारीख को निर्माता को रिफंड दिया जाएगा।

- (7) यदि यह पाया जाता है कि निर्माता ने उन खुदरा विक्रय मूल्यों की वस्तुओं का निर्माण किया है, जिन्हें उसने इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार घोषित नहीं किया है, या ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया है जो कारखाने के विभिन्न खुदरा विक्रय मूल्य की अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले हिस्से या खंड और प्रत्येक भाग में उपयोग की जाने वाली मशीनों की संख्या के संबंध में अपनी घोषणा का उल्लंघन करती है, तो उसके द्वारा निर्मित उच्चतम खुदरा विक्रय मूल्य की वस्तुओं के लिए लागू शुल्क दर ऐसे निर्माण की अविध के दौरान उसके द्वारा संचालित सभी पैकिंग मशीनों के संबंध में देय होगी।
- (8) यदि कोई नया निर्माता किसी विशेष माह में अधिसूचित वस्तुओं का उत्पादन शुरू करता है, तो उस माह के लिए उसका मासिक शुल्क माह में कुल दिनों के प्रो-राता आधार पर गणना की जाएगी और ऐसे शुरुआत से शेष दिनों और माह से शुरू होगी और ऐसा शुल्क इस तरह की शुरुआत के पांच दिन के भीतर दिया जाएगा।
- **14. पैकेज पर खुदरा विक्रय मूल्य की घोषणा -** प्रत्येक निर्माता अधिसूचित वस्तुओं के पैकेज पर खुदरा विक्रय मूल्य की घोषणा करेगा:

परंतु यदि निर्माता वस्तुओं को कारखाने से हटाने से पहले खुदरा विक्रय मूल्य की घोषणा करने में विफल रहता है या ऐसा खुदरा विक्रय मूल्य घोषित करता है जो इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत घोषित किए जाने वाले खुदरा विक्रय मूल्य से अलग है, या कारखाने से हटाने के बाद वस्तुओं के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य में हेराफेरी, लोप या संशोधन करता है, तो ऐसी वस्तुएं जब्ती के लिए उत्तरदायी होंगी और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए ऐसी वस्तुओं का खुदरा विक्रय मूल्य नियम 15 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

- 15. गैर-घोषणा, लोप, हेराफेरी आदि की स्थिति में खुदरा विक्रय मूल्य का निर्धारण जहां निर्माता नियम 14 के प्रावधान में निर्दिष्ट तरीके और परिस्थितियों में अधिसूचित वस्तुओं को हटाता है, तो ऐसी वस्तुओं का खुदरा विक्रय मूल्य निम्नलिखित तरीके से अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा निर्धारित किया जाएगा, अर्थातु:-
- (क) यदि निर्माता ने समान वस्तुओं का निर्माण किया है और ऐसी वस्तुओं के हटाने से एक माह पहले या बाद की अवधि के भीतर, खुदरा विक्रय मूल्य की घोषणा करके हटाया है, तो ऐसा घोषित खुदरा विक्रय मूल्य ऐसी वस्तुओं का खुदरा विक्रय मूल्य माना जाएगा;
- (ख) यदि खुदरा विक्रय मूल्य को (क) के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी वस्तुओं का खुदरा विक्रय मूल्य उस खुदरा बाजार में पूछताछ की जाएगी जहां समान वस्तुएं सामान्य रूप से ऐसी वस्तुओं के कारखाने से हटाने के समय के आसपास बेची गई हैं: बशर्ते कि यदि (क) या (ख) के संदर्भ में एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, तो ऐसी सभी वस्तुओं का खुदरा विक्रय मूल्य सबसे अधिक खुदरा विक्रय मूल्य माना जाएगा।

व्याख्या.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जब खुदरा विक्रय मूल्य बाजार पूछताछ के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है, तो ऐसी पूछताछें नमूना आधार पर की जाएंगी;

(ग) जहां निर्माता कारखाने से वस्तुओं के हटाने के बाद पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य में संशोधन या हेराफेरी करता है, जिसके परिणामस्वरूप खुदरा विक्रय मूल्य में वृद्धि होती है, तो ऐसा बढ़ा हुआ खुदरा विक्रय मूल्य ऐसी वस्तुओं के हटाने की तारीख से एक माह पहले और बाद की अविध के दौरान हटाई गई सभी वस्तुओं का खुदरा विक्रय मूल्य माना जाएगा:

परंतु जहां निर्माता घोषित खुदरा विक्रय मूल्य में संशोधन या हेराफेरी करता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी वस्तुओं पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य उपलब्ध होते हैं, तो ऐसी सभी वस्तुओं का खुदरा विक्रय मूल्य ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों का सबसे अधिक माना जाएगा।

- **16. सीसीटीवी प्रणाली की स्थापना -** (1) अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण के लिए पैकिंग मशीनों का संचालन करने वाले प्रत्येक निर्माता को परिसर के भीतर पैकिंग मशीन स्थापित सभी क्षेत्रों को कवर करने वाली एक कार्यात्मक बंद-सर्किट दूरदर्शन (सीसीटीवी) निगरानी प्रणाली स्थापित करनी होगी।
- (2) सभी रिकॉर्ड किए गए फुटेज को रिकॉर्डिंग की तारीख से कम से कम अड़तालीस महीने की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- (3) निर्माता लिखित अनुरोध पर, संवेदनशील सीसीटीवी फुटेज को अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा अनुरोध की प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर, यथास्थिति, या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को प्रदान करेगा।
- 17. पैकिंग मशीनों को जोड़ने या हटाने और अन्य प्रतिबंध से संबंधित नियम (1) यदि निर्माता किसी पैकिंग मशीन का संचालन आगे नहीं करना चाहता है, तो वह इसके लिए अभिप्रेत तारीख से कम से कम तीन कार्य दिवसों से पहले अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को सूचित करेगा, जिसके बाद कारखाने के परिसर से अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की देखरेख में मशीन को हटाया जाएगा:

परंतु यदि ऐसी पैकिंग मशीनों को कारखाने के परिसर से हटाना संभव नहीं है, तो उन्हें अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा इस तरह से सील किया जाएगा कि उन्हें संचालित नहीं किया जा सके।

- (2) यदि निर्माता अपने परिसर में एक पैकिंग मशीन जोड़ना या स्थापित करना चाहता है, तो वह ऐसे जोड़ या पैकिंग मशीन की स्थापना की तारीख से कम से कम तीन कार्य दिवसों से पहले अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को इसकी सूचना देगा, जो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक की भौतिक देखरेख में जोड़ या स्थापना, यथास्थिति, की अनुमति देगा।
- 18. शुल्क में छूट इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट ऐसी शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार को छोड़कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के नियम 18 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अंतर्गत शुल्क दिए जाने वाली अधिसूचित वस्तुओं पर कोई शुल्क छूट नहीं दी जाएगी।
- 19. शुल्क के बिना निर्यात इन नियमों या केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 में निहित किसी भी बात के बावजूद,-
 - (क) कोई अधिसूचित वस्तु शुल्क के बिना निर्यात नहीं की जाएगी; और
 - (ख) कोई भी सामग्री कारखाने, गोदाम या किसी अन्य परिसर से शुल्क के बिना अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिए भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली अधिसूचित वस्तुओं को हटाई नहीं जाएगी।
- **20.** बल्क पैक में अधिसूचित वस्तुओं पर सेनवेट क्रेडिट की स्वीकार्यता (1) अधिसूचित वस्तुओं का एक निर्माता केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चतुर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क का क्रेडिट (जिसे आगे " सेनवेट क्रेडिट" कहा जाता है) लेने के लिए अनुमत होगा।
- (2) उप-नियम (1) में दिए गए को छोड़कर, अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण में या उसके संबंध में उपयोग की गई किसी भी इनपुट या पूंजीगत वस्तु पर दिए गए शुल्क का कोई सेनवेट क्रेडिट, सेनवेट क्रेडिट नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा।

- (3) उप-नियम (1) के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट अधिसूचित वस्तुओं की बल्क पैकों की प्राप्ति पर तुरंत लिया जा सकता है और इसे अधिनियम की धारा 3क के अंतर्गत अधिसूचित वस्तुओं पर देय शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है:
- परंतु शुल्क का भुगतान करते समय, सीएनवीएटी क्रेडिट का उपयोग केवल उस सीमा तक किया जाएगा जहां तक ऐसा क्रेडिट उस माह के अंतिम दिन उपलब्ध है जिसके लिए पहले शुल्क का भुगतान किया जाता है।
- (4) उप-नियम (1) के अंतर्गत सेनवे क्रेडिट निर्माता द्वारा अपने कारखाने से अधिसूचित वस्तुओं की बल्क पैकों की निकासी के लिए निर्माता द्वारा जारी किए गए चालान के आधार पर लिया जाएगा।
- (5) निर्माता अधिसूचित वस्तुओं की बल्क पैकों की प्राप्ति, निपटान, खपत और सूची के संबंध में उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगा, जिसमें मूल्य, दिए गए शुल्क, लिया गया और उपयोग किया गया सेनवेट क्रेडिट, जिस व्यक्ति से ऐसी बल्क पैकों को खरीदा गया है, के संबंध में प्रासंगिक जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी और सेनवेट क्रेडिट की स्वीकार्यता संबंधी साक्ष्य का बोझ ऐसे क्रेडिट लेने वाले निर्माता पर होगा।
- (6) जहां सेनवेट क्रेडिट गलत तरीके से लिया या उपयोग किया गया है, तो वही और साथ ही ब्याज निर्माता से वसूल किया जाएगा और अधिनियम की धारा 11क और 11एए के प्रावधान, जहां तक संभव हो, ऐसी वसूली के लिए लागू होंगे: बशर्ते कि इन नियमों के अंतर्गत गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया सेनवेट क्रेडिट सभी बल्क पैकें जब्ती के लिए उत्तरदायी होंगी और निर्माता को ऐसी बल्क पैकों पर दिए गए शुल्क से अधिक नहीं की दंड के लिए उत्तरदायी होंगी: और बशर्ते कि एक ऐसे मामले में जहां सेनवेट क्रेडिट को धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी, मिलीभगत या तथ्यों के दमन के कारण गलत तरीके से लिया या उपयोग किया गया है, या अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया गया है जिसमें शुल्क से बचने का इरादा है, तो निर्माता अधिनियम की धारा 11एसी के प्रावधानों के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
- (7) इस नियम में दिए गए को छोड़कर, सेनवेट क्रेडिट नियम, 2017 के कोई अन्य प्रावधान अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होंगे।
- 21. कारखाना कार्य बंद करना इन नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां एक निर्माता कारखाने में स्थापित सभी मशीनों के संबंध में स्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देता है और जिसने अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकरण समर्पण के लिए एक अधिसूचना दाखिल की है, यथास्थिति, अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की एक प्रति के साथ, इस प्रयोजन के लिए, वह माह जिसमें वह स्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देता है, के लिए उसके द्वारा देय शुल्क की गणना उस माह के कुल दिनों और अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से पहले के दिनों के प्रो-राता आधार पर की जाएगी, यथास्थिति, और नियम 9 के अनुसार उस माह के लिए दिया गया शुल्क इस तरह गणना किए गए शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और इस तरह समायोजन पर, यदि कोई अधिक भुगतान है, तो इसे अगले माह की 20 तारीख को निर्माता को रिफंड किया जाएगा और यदि कोई कमी है, तो यह अगले माह की 6 तारीख को उसके द्वारा देय होगी।

व्याख्या.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "कार्य करना बंद करना" में वह एक निर्माता शामिल नहीं है जो केवल एक या दो शिफ्टों के लिए अपने कारखाने का संचालन बंद करता है।

22. उल्लंघनों के लिए शास्ति आदि - (1) अधिनियम की धारा 11एसी के प्रावधानों के अधीन, यदि कोई निर्माता इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अधिसूचितवस्तुओं का उत्पादन या निकास करता है, तो ऐसी सभी वस्तुएं जब्ती के लिए उत्तरदायी होंगी, और निर्माता ऐसे उल्लंघन के संबंध में अधिसूचित वस्तुओं पर देय शुल्क से अधिक न हो इतने दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

- (2) यदि यह पाया जाता है कि वस्तुओं का निर्माण या निकास उस इकाई से किया गया है क्षेत्रीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के साथ पंजीकृत नहीं है, तो ऐसी इकाई के परिसर में पाई गई पैकिंग मशीनों की संख्या और ऐसी पैकिंग मशीनों के साथ निर्मित पाउच के खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर ऐसी इकाई का शुल्क दायित्व निर्धारित किया जाएगा और जब तक विपरीत साक्ष्य क्षेत्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को संतुष्ट करने के लिए प्रदान नहीं किया जाता है, ऐसी मशीनों को 1 फरवरी, 2026 से, या पिछले पांच वर्षों से, जो भी बाद में हो, संचालित पैकिंग मशीनें माना जाएगा और नियम 6 के प्रयोजनों के अनुसार और तदनुसार व्यवहार किया जाएगा।
- (3) यदि निर्माता क्षेत्रीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी फुटेज प्रदान करने में विफल रहता है, यथास्थिति, अनुरोध की प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर, तो निर्माता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- 23. अधिसूचित वस्तुओं पर लागू प्रावधान यहां दिए गए प्रावधान को छोड़कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के सभी प्रावधान, जिसमें दैनिक स्टॉक खाता बनाए रखने, इनवॉइस पर माल हटाने, रिटर्न दाखिल करने और देय राशि की वसूली से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, अधिसूचितवस्तुओं पर भी लागू होंगे।
- 24. **कुछ वस्तुओं को अधिसूचित वस्तुएं माना जाना** इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, सभी वस्तुओं को पैकिंग मशीन की सहायता से निर्मित माना जाएगा, यदि वे किसी ऐसे कारखाने से निकाली जाती हैं जहां एक पैकिंग मशीन स्थापित है, चाहे वह उपयोग में है या नहीं, या कार्यशील स्थिति में है या नहीं।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/72/2025-टीआरयू] धीरज शर्मा, अवर सचिव

फॉर्म सीई डीईसी-01

[चबाने वाली तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीनें (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2026 के नियम 6 देखें|

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण के लिए मशीनों की घोषणा

1. मूल जानकारी

क्रम सं.	विवरण	जानकारी
1.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या	
2.	कानूनी नाम	[पंजीकरण विवरण से स्वचालित रूप से भरा जाएगा]
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो	[पंजीकरण विवरण से स्वचालित रूप से भरा जाएगा]
4.	कारखाने/परिसर का पता	[पंजीकरण विवरण से स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

5.	अन्य परिसर का पता जहां समान वस्तुओं का निर्माण किया जाता है	
6.	जीएसटीआईएन	
7.	दाखिल करने की तारीख	दिन / माह / वर्ष

2. घोषणा का प्रकार (एक को चिह्नित करें)

- □ प्रारंभिक घोषणा (नियम 6(1))
- □ घोषणा में परिवर्तन (नियम 6(3) मापदंडों में परिवर्तन)
- □ नई स्थापना/जोड़/किसी मशीन के संचालन की शुरुआत (नियम 6(6))

3. अधिसूचित वस्तुओं के विवरण और वित्तीय वर्ष के दौरान निर्मित किए जाने वाले खुदरा विक्रय मूल्य का मूल्यवर्ग

(अधिनियम की धारा 3क का संदर्भ लें)

क्रम सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	ब्रांड नाम(s)	खुदरा विक्रय मूल्य
1				
2				

4. उपलब्ध मशीनों के विवरण

(निर्दिष्ट नियमों के नियम 6 का संदर्भ लें - तालिका यहां जोड़ी जाएगी)

क्रम	ब्रांड	मॉडल	निर्माता	मशीन	कारखाने	खरीद	ट्रैकों	गियरबॉक्स	प्रति	फनलों	खुदरा	पैकिंग	प्रति	कुल	पंजीकरण	कार्यशील
			नाम	संख्या	का पता	की	की	अनुपात	मिनट	की	विक्रय	का	ट्रैक	पैकिंग	संख्या	स्थिति
						तारीख	संख्या		क्रांति	संख्या	मूल्य	प्रकार	क्षमता	क्षमता		
											(रु.)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

5. ऊपर दिए गए (4) में से स्थापित मशीनों के विवरण

(निर्दिष्ट नियमों के नियम 6 का संदर्भ लें)

भाग क: मौजूदा मशीनें –

क्रम	ब्रांड	मॉडल	निर्माता	मशीन	कारखाने	खरीद	ट्रैकों	गियरबॉक्स	प्रति	फनलों	खुदरा	पैकिंग	प्रति	कुल	पंजीकरण	कार्यशील
			नाम	संख्या	का पता	की	की	अनुपात	मिनट	की	विक्रय	का	ट्रैक	पैकिंग	संख्या	स्थिति
						तारीख	संख्या		क्रांति	संख्या	मूल्य	प्रकार	क्षमता	क्षमता		
											(रु.)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

भाग ख: नई जोड़ी गई मशीनें (यदि लागू हो) -

क्रम	ब्रांड	मॉडल	निर्माता	मशीन	कारखाने	खरीद	ट्रैकों	गियरबॉक्स	प्रति	फनलों	खुदरा	पैकिंग	प्रति	कुल	पंजीकरण	कार्यशील
			नाम	संख्या	का पता	की	की	अनुपात	मिनट	की	विक्रय	का	ट्रैक	पैकिंग	संख्या	स्थिति
						तारीख	संख्या		क्रांति	संख्या	मूल्य	प्रकार	क्षमता	क्षमता		
											(रु.)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

6. विवरण में परिवर्तन (नियम 6(3) के अंतर्गत घोषणा के लिए)

(मशीन की क्रम संख्या दर्ज करें और तालिका 5 में पहले दिए गए विवरण स्वचालित रूप से प्राप्त होंगे। जिन पंक्तियों में मापदंड बदले गए हैं, उन्हें संपादित किया जा सकता है) –

क्रम	पंजीकरण	स्थापना	ट्रैकों की	पैकिंग	गियरबॉक्स	प्रति	फनलों	पैकेज	खुदरा	प्रति ट्रैक	कुल	कार्यशील	परिवर्तन
	संख्या	स्थान	संख्या	का	अनुपात	मिनट	की	का वजन	विक्रय	क्षमता	पैकिंग	स्थिति	की
				प्रकार		क्रांति	संख्या	(ग्राम)	मूल्य		क्षमता		तारीख
									(रु.)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

7. अन्य विभागों को दिए गए मशीनों की अधिसूचना के विवरण -

क्रम सं.	अधिसूचना की तारीख	सरकारी विभाग/एजेंसी का	घोषणा विवरण
		नाम	

8. पैर्किंग मशीनों का निपटान (संशोधन के रूप में दाखिल किया जाना) -

क्रम सं.	मशीन पंजीकरण संख्या	निपटान की तारीख	निपटान का कारण

9. कार	खाने के पर्ि	रेसर का	ग्राउंड प्ल	ान और वि	भिन्न खु	दरा वि	क्रय मूल	त्य की वि	वेनिर्दिष्ट	ष्ट वस्तुओं	के निम	णि के	लिए	निर्मात	ा द्वार	ा उप	योग
किए ज	ाने के लिए	, अभिप्रेत	त कारखाने	ने के परिस	र के भा	गयास	बंड का	विवरण	और प्र	त्येक ऐरं	ने भागः	या खं	ड में उ	उपयोग	की ज	ाने व	गली
मशीनों	की संख्या	(विवरप	ग पीडीएप	क के रूप में	अपलोड	ड किए	जाएं)										

	. `		~ .
गाउंट	प्लान/स्केच	संत्रा	ரகச்∙
	3(1111) (31)	7.17.15	1 717.

10. परिसर में स्थापित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के विवरण

क्रम सं.	स्थापना की तारीख	सीसीटीवी कैमरों की संख्या	स्थापित क्षेत्र

दस्तावेज अपलोड किए गए			
 मशीनों की तकनीकी विशेषता 	पत्र (निर्माता की मैनुअल)		
🗆 चार्टर्ड इंजीनियर से प्रमाणपत्र	(मशीनों की गति और क्षमता को	प्रमाणित करना)	
🗆 कारखाने का लेआउट प्लान (म	शीन स्थान दर्शाते हुए)		
🗆 अन्य विभाग की अधिसूचना घं	ोषणा		
□ अन्य:			
11. सत्यापन			
मैं,	(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताः	का नाम),	का पुत्र/पुत्री, एतद्वारा
इससे कुछ भी छुपाया नहीं गया है बनाए गए नियमों के अंतर्गत दंडर्न स्थान: (हस्ताक्षर) नाम: पद:	ोय कार्यवाही के लिए उत्तरदायी तारीख: - फॉर्म सीई	है।	क अधिनियम, 1944 और उसके तहत
1. निर्माता के विवरण			
केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या		ई-मेल पता	
मोबाइल नंबर		निर्माता का नाम	
पता			·
2. चालान विवरण – सी आई एन नंबर सी आई एन दिनांक			

_		\sim		
:3	क्षत्र	ाधका र	र विवरण 🗕	

कमिशनरेट	
कमिशनरेट कोड	
मण्डल	
मण्डल कोड	
रेंज	
रेंज कोड	

4. शुल्क भुगतान विवरण –

विवरण	लेखा कोड	लेखा कोड प्रकार
ड्यूटी		
ब्याज		
शास्ति		
अन्य		
कुल		

कुल राशि (शब्दों मे) :

5. उप-आयुक्त/सहायक आयुक्त द्वारा दिया गया ह्वास का विवरण:

क्रम संख्या	मशीन रजिस्ट्रेशन संख्या	मशीन की कुल शुल्क देयता (रुपये में)	पिछले महीने में मशीन के निष्क्रिय रहने के दिनों की संख्या	दावा की उपशमन (नेट उपशमन क्लेम्ड)	उपशमन के आदेश का संदर्भ संख्या	उपशमन के आदेश की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
कुल						

मैं एतद्वारा गंभीरता से घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के सर्वोत्तम के अनुसार सत्य और सही
है और इससे कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
प्थान: तारीख:
नेर्माता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
नद:
इस्ताक्षर:

फॉर्म सीई सीसीई-01

[नियम 6(2) देखें]

चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण-पत्र

1. निर्माता के विवरण

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या	
2. कानूनी नाम	
3. व्यापार नाम	
4. कारखाने का पता	

2. जांच की गई मशीनों के विवरण -

(चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा कारखाने के परिसर में स्थापित मशीनों के भौतिक सत्यापन के बाद भरा जाना चाहिए)

क्र. सं.	मेक <i>/</i> मॉडल	निर्माता का नाम	मशीन संख्या (सीरियल नंबर)	मशीन पंजीकरण संख्या (यदि सिस्टम द्वारा पहले ही असाइन की गई है)	ट्रैक की संख्या	मशीन का गियर बॉक्स अनुपात	मुख्य मोटर के प्रति मिनट चक्कर	फनल की संख्या	प्रत्येक ट्रैक या फनल की पैकिंग क्षमता (पाउच प्रति मिनट)	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता (अधिकतम रेटेड गति) (पाउच प्रति मिनट)	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											

3. प्रमाणन

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि:

1. मैंने ऊपर दी गई तालिका में सूचीबद्ध _	(संख्या) मशीनों का व्यक्तिगत रूप से	(निरीक्षण की तारीख) को
निर्माता के कारख	ाने परिसर में सत्यापन किया है।	

- 2. ऊपर दी गई तालिका में दिए गए विवरण, विशेष रूप से अधिकतम दर गति (स्तंभ 11), मशीनों की तकनीकी विशेषताओं और भौतिक सत्यापन के आधार पर मेरे ज्ञान और विश्वास के सर्वोत्तम के अनुसार सत्य और सही हैं।
- 3. मैंने सत्यापित किया है कि मशीनें उस दर गति से अधिक की उत्पादन क्षमता के लिए सक्षम नहीं हैं जो यहां घोषित की गई है।

4. मशीनों की क्षमता के संबंध में कुछ भी छुपाया नहीं गया है या गलत प्रस्तुत किया नहीं गया है जो चबाने वाली तंबाकू, जद
सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैर्किंग मशीनें (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2025 के अंतर्गत शुल्क के दायित्व को
प्रभावित करता है।

तारीख:	स्थान:
(चार्टर्ड इंजीनियर की हस्ताक्षर)	
नाम:	_
सदस्यता/पंजीकरण संख्या:	
पता:	_
मोबाइल नंबर:	
ਰ ਜੇੜ ਆ≦ਰ ੀ•	

चार्टर्ड इंजीनियर के लिए निर्देश:

- 1. स्तंभ 11 (कुल पैकिंग क्षमता): यह अधिकतम दर गति है। इसकी गणना इस प्रकार की जानी चाहिए: (प्रति ट्रैक या फनल क्षमता) × (ट्रैकों या फनलों की संख्या)।
- 2. संशोधन: यदि किसी मशीन में इसकी गति या क्षमता को बदलने के लिए संशोधन किया गया है, तो प्रमाणपत्र में वर्तमान वास्तविक अधिकतम क्षमता को दर्शाना चाहिए, केवल निर्माता की मूल विशेषता को नहीं।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 05/2025-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 953(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco and Gutkha Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the 1st day of February, 2026.
- **2. Definitions.** -(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Act" means the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);
- (b) "Board" means the Central Board of Indirect Taxes and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963);
- (c) "chewing tobacco" means chewing tobacco including filter khaini falling under tariff item 2403 99 10 of the Fourth Schedule to the Act;
- (d) "gutkha" means pan masala containing tobacco and falling under tariff item 2403 99 90 of the Fourth Schedule to the Act;
- (e) "identical goods" means goods which are same in all respects, including physical characteristics and quality as

the goods being valued except for minor differences in appearance that do not affect the value of the goods;

- (f) "jarda scented tobacco" means jarda scented tobacco falling under tariff item 2403 99 30 of the Fourth Schedule to the Act;
- (g) "notified goods" means chewing tobacco, jarda scented tobacco and gutkha notified under sub-section (1) of section 3A of the Act;
- (h) "packing machine" includes all types of Form, Fill and Seal (FFS) Machines and Horizontal Pouch Making Machines, by whatever name called, whether vertical or horizontal, single track or multi-track and any other type of packing machine used for packing of pouches of notified goods;
- (i) "retail sale price" means the maximum price at which the specified goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like and the price is the sole consideration for the sale:

Provided that where on the package, more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale prices shall be deemed to be the retail sale price:

Provided further that if the notified goods are cleared in wholesale packages containing a number of standard packages with retail sale price declared on them, then, such declared retail sale price shall be taken into consideration for determining the rate of duty;

- (j) "similar goods" means goods which although not alike in all respects, have like characteristics and like raw materials which enable them to perform the same functions and to be commercially interchangeable with the goods being valued having regard to the quality.
- (2) The words and expressions used but not defined herein and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act;
- **3. Application**. These rules shall apply to chewing tobacco, jarda scented tobacco and gutkha, manufactured with the aid of packing machine and packed in pouches, notified under sub-section (1) of section 3A of the Act.
- **4. Factors relevant to production.** The factors relevant to the production of notified goods shall be the number of packing machines in the factory of the manufacturer and the maximum capacity of production of such packing machines for packing of notified goods of various retail sale prices.
- **5. Quantity deemed to be produced**. (1) The quantity of notified goods, having retail sale price as specified in column (2) of the Table below, deemed to be produced by use of one operating packing machine, having maximum capacity at which it can be operated for packing of notified goods as specified in column (3) or column (4) or column (5) or column (6) of the Table, as the case may be, per month shall be as is equal to the corresponding entry specified in the Table, as the case may be:-

TABLE

	Retail sale price	Maximum capacity of production per packing machine per month for notified goods (number of pouches)									
Sl. No.	(per pouch)	Upto 500 pouches per minute	501 to 1000 pouches per minute	1001 to 1500 pouches per minute	1501 pouches per minute and above						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
1.	Up to Rs. 2.00	1,12,32,000	2,24,64,000	3,36,96,000	22,464 x S						
2.	Exceeding Rs. 2	1,01,08,800	2,02,17,600	3,03,26,400	20,218 x S						

Where 'S' above denotes maximum rated speed of the pouch packaging machine for which rate of duty is to be determined.

Explanation. - For the purposes of this rule, if there are multiple track or multiple line packing machines which besides packing the notified goods in pouches, perform additional processes involving moulding and giving a definite shape to such pouches with a view to distinguish the brand or to prevent the counterfeiting of the goods, etc., two such tracks or lines shall be deemed to be one individual packing machine for the purposes of calculation of the number of pouches per operating packing machine per month:

Provided that in case of multiple track or multiple line packing machine which are incapable of performing such additional processes, one such track or line shall be deemed to be one individual packing machine for the purposes of calculation of the number of pouches per operating packing machine per month.

- (2) The annual capacity of production shall be determined by multiplying the quantity of notified goods deemed to be produced in a month with twelve.
- **6. Declaration to be filed by the registered person. -** (1) Every manufacturer of the notified goods shall file a declaration in **FORM CE DEC-01** on the portal on or before the 7th day of February, 2026 or within seven days from the date of commencement of manufacturing of notified goods, as the case may be.
- (2) The manufacturer shall declare the details as required in **FORM CE DEC-01** with respect to gear box ratios, number of funnels, number of tracks and revolution per minute of main motor as certified by a chartered engineer in **FORM CE CCE-01**.
- (3) The manufacturer shall file a fresh declaration within fifteen days of any change in the factors relevant to production under rule 4, or in case of installation, addition or commencement of any machine:

Provided that no fresh declaration may be filed until an order has been issued by the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, under rule 7.

- 7. **Verification of declaration. (1)** On receipt of the declaration filed under rule 6, the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, shall verify the declaration within ninety days, which may, inter alia, include the-
 - (a) physical inspection of the factory;
 - (b) verification of the technical specifications of the machine, including the maximum rated speed of the machine; and
 - (c) consultation with a third-party technical expert if deemed necessary.
- **8. Determination of capacity. -** (1) In case no discrepancy is found in the declaration filed under rule 6, the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, shall pass an order within a period of fifteen days from the date of verification under rule 7, determining the annual production capacity of machines.
- (2) Where the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, finds any discrepancy in the declaration furnished under rule 6 that affects the capacity of production of machines, he shall intimate such discrepancy to the manufacturer and shall pass an order determining the capacity of production within a period not later than thirty days from the date of verification under rule 7, after giving the manufacturer a reasonable opportunity of being heard.
- (3) The manufacturer shall be liable to pay the duty, according to the capacity determined, for the period subsequent to the passing of the order under sub-rule (2) and shall also be liable to pay the differential amount of duty, if any, along with interest, for the period commencing from
 - (a) the date of installation of the machine, where the declaration is filed under sub-rule (1) of rule 6; or
- (b) the date of change in any factors relevant to production, or the date of installation, addition, or commencement of any machine, as the case may be, where the declaration is filed under sub-rule (3) of rule 6; till the date of actual payment of such differential amount.

9. Duty payable to be calculated. -(1) The duty payable for a particular month shall be calculated by application of the appropriate rate of duty notified under sub-section (3) of section 3A of the Act.

Provided that, in the case of a new manufacturer, the duty payable for the first month shall be calculated on a pro-rata basis, having regard to the total number of days in that month and the number of days commencing from the date of installation of the machine and such duty shall be paid within five days of such installation.

- (2) In case of addition or installation or removal or uninstallation of a machine in the factory during the month, for the purpose of calculating duty under sub-rule (1), the number of machines installed for the month shall be taken as the maximum number of machines installed on any day during the month.
- **10. Abatement.** (1) In case a machine did not produce the notified goods during any continuous period of fifteen days or more, the duty calculated on a proportionate basis shall be abated in respect of such period when the following conditions are satisfied, namely:-
 - (a) the manufacturer intimates the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, at least three working days before the non-operation of an installed machine for any continuous period of fifteen days or more, requesting the sealing of the machine;
 - (b) the packing machine is sealed by the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, within three working days from the date of receipt of intimation in such a manner that it cannot be operated;
 - (c) no manufacturing activity for the specified goods is undertaken on the said machine during the period of sealing.
- (2) Where the manufacturer is eligible for abatement under sub-rule (1), they shall claim such abatement by submitting an application to the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, on or before the 20th day of the month succeeding the period for which the abatement is claimed.
- (3) The jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, shall, upon verification of the claim submitted under sub-rule (2), issue an order, within fifteen days of the submission of such application, allowing the abatement of the duty liability for each month covered by the period of non-operation of the machines, which shall be adjusted against the duty liability payable for the month immediately following the month in which such order is issued:

Provided that no order rejecting the claim of abatement, either in whole or in part, shall be passed unless the manufacturer has been given a reasonable opportunity of being heard.

11. Quantification of abatement amount. - The amount of abatement shall be the determined in the following manner:

Abatement amount = (excise duty liability for the machine for the month X total number of continuous days the machine was inoperative in the month) / (the total number of days in the month)

- **De-sealing and resumption of operation.** The manufacturer shall intimate the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, three working days before the date from which he intends to resume operation on the sealed machine, as the case may be, which would then be de-sealed under the physical supervision of the jurisdictional Superintendent of Central Excise, as the case may be.
- 13. Manner of payment of duty and interest. -(1) The monthly duty payable on notified goods shall be paid by the 6^{th} day of the same month and a monthly return shall be filed as per the provisions of rule 12 of Central Excise Rules, 2017.

- (2) The manufacturer shall also submit a statement in **FORM CE PMT-01** by 10th of the same month.
- (3) In case, the manufacturer fails to pay the amount of duty by the due date, he shall be liable to pay the outstanding amount along with the interest at the rate notified by the Central Government under sub-section (2) of section 11AA of the Act on the outstanding amount, for the period starting with the first day after the due date till the date of actual payment of the outstanding amount.
- (4) In case of increase in the number or speed of operating packing machines in the factory during the month on account of addition or installation of packing machines, the differential duty amount, if any, shall be paid within five days of the addition or installation of the machine, or the change in the maximum rated speed.
- (5) In case a manufacturer permanently discontinues manufacture of goods of existing retail sale price or commences manufacture of goods of a new retail sale price during the month or disposes an installed machine, the monthly duty payable shall be recalculated on the pro-rata basis of the total number of days in that month and the number of days remaining in that month starting from the date of such discontinuation or commencement and the duty liability for the month shall not be deemed to have been discharged unless the differential duty is paid by the 6th day of the following month and in case the amount of duty so recalculated is less than the duty paid for the month, the balance shall be refunded to the manufacturer by the 20th day of the following month.
- (6) In case of revision in the rate of duty leviable under section 3A of the Act, the monthly duty payable shall be recalculated on the pro-rata basis of the total number of days in that month and the number of days remaining in that month counting from the date of such revision and the duty liability for the month shall not be discharged unless the differential duty is paid by the 6th day of the following month and in case the amount of duty so recalculated is less than the duty paid for the month, the balance shall be refunded to the manufacturer by the 20th day of the following month.
- (7) In case it is found that a manufacturer has manufactured goods of those retail sale prices, which have not been declared by him in accordance with provisions of these rules or has manufactured goods in contravention of his declaration regarding the plan or details of the part or section of the factory premises intended to be used by him for manufacture of notified goods of different retail sale prices and the number of machines intended to be used by him in each of such part or section, the rate of duty applicable to goods of highest retail sale price so manufactured by him shall be payable in respect of all the packing machines operated by him for the period during which such manufacturing took place.
- (8) In case a new manufacturer commences production of notified goods in a particular month, his monthly duty payable for that month shall be calculated on a pro-rata basis of the total number of days in the month and the number of days remaining in that month starting from the date of such commencement and shall be paid within five days of such commencement.
- **14. Retail sale price to be declared on the package**. Every manufacturer shall declare the retail sale price of the notified goods on the package of such goods:

Provided that if the manufacturer fails to declare the retail sale price before removing the goods from the place of manufacture or declares a retail sale price which is not the retail sale price as required to be declared under the provisions of these rules or tampers with, obliterates or alters the retail sale price declared on the package of such goods after their removal from the place of manufacture, then, such goods shall be liable to confiscation and the retail sale price of such goods shall be ascertained in the in accordance with rule 15 and such price shall be deemed to be the retail sale price for the purposes of these rules.

- 15. Determination of retail sale price in case of non-declaration, obliteration, tampering, etc. Where a manufacturer removes the notified goods in the manner and circumstances specified in the proviso to rule 14, then, the retail sale price of such goods shall be ascertained by the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, in the following manner, namely: -
- (a) if the manufacturer has manufactured and removed identical goods, within a period of one month, before or after removal of such goods, by declaring the retail sale price, then, the said declared retail sale price shall be taken as the retail sale price of such goods;
- (b) if the retail sale price cannot be ascertained in terms of (a), the retail sale price of such goods shall be ascertained

by conducting the enquiries in the retail market where similar goods have normally been sold at or about the same time of the removal of such goods from the place of manufacture:

Provided that if more than one retail sale price is ascertained under (a) or (b), then, the highest of the retail sale price, so ascertained, shall be taken as the retail sale price of all such goods.

Explanation. - For the purposes of this rule, when retail sale price is required to be ascertained based on market inquiries, the said inquiries shall be carried out on sample basis;

(c) Where a manufacturer alters or tampers the retail sale price declared on the package of goods after their removal from the place of manufacture, resulting into increase in the retail sale price, then, such increased retail sale price shall be taken as the retail sale price of all goods removed during a period of one month before and after the date of removal of such goods:

Provided that where the manufacturer alters or tampers the declared retail sale price resulting into more than one retail sale price available on such goods, then, the highest of such retail sale price shall be taken as the retail sale price of all such goods;

- **16. Installation of Closed-Circuit Television System.** (1) Every manufacturer operating packing machines for the manufacture of the notified goods shall install a functional Closed-Circuit Television (CCTV) surveillance system covering all areas where packing machines are installed in the premises.
- (2) All recorded footage shall be preserved for a minimum period of forty-eight months from the date of recording.
- (3) The manufacturer shall, on written requisition, furnish the recorded CCTV footage to the Additional Commissioner of Central Excise or the Joint Commissioner of Central Excise, as the case may be, or any officer authorised by him, within forty-eight hours of the receipt of such requisition.
- **Addition or removal of packing machines and other restrictions.** (1) In case a manufacturer does not intend to further operate a packing machine, he shall intimate the same to the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, at least three working days in advance from the date so intended, whereupon the same shall be uninstalled and the jurisdictional Superintendent of Central Excise shall supervise the removal of machine from the factory premises:

Provided that in case it is not feasible to remove such packing machines out of the factory premises, it shall be sealed by the jurisdictional Superintendent of Central Excise in such a manner that it cannot be operated.

- (2) In case a manufacturer wants to add or install a packing machine in his premises, he shall give a notice to this effect at least three working days in advance from the date of such addition or the installation of the packing machine to the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, who shall allow the addition or installation, as the case may be, under the physical supervision of jurisdictional Superintendent of Central Excise.
- **18. Rebate of duty**. Except in accordance with such terms and conditions as the Central Government may by notification specify in this behalf, no rebate of excise duty shall be granted under rule 18 of the Central Excise Rules, 2017, in respect of notified goods on which duty has been paid under sub-section (3) of section 3A of the Act.
- **19. Export without payment of duty.** Notwithstanding anything contained in these rules or in the Central Excise Rules, 2017, -
- (a) no notified goods shall be exported without payment of duty; and
- (b) no material shall be removed without payment of duty from a factory or warehouse or any other premises for use in the manufacture or processing of notified goods which are exported out of India.

- **20.** Cenvat credit admissible on notified goods in bulk packs. (1) A manufacturer of notified goods shall be allowed to take credit (hereinafter referred to as the CENVAT credit) of, the duty of excise specified in the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 leviable under the said Act:
- (2) Except as provided under sub-rule (1), no CENVAT credit of duty paid on any input or capital goods used in or in relation to manufacture of the notified goods shall be taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2017.
- (3) The CENVAT credit under sub-rule (1) may be taken immediately on receipt of bulk packs of notified goods and may be utilised for payment of duty leviable under section 3A of the Act on notified goods:

Provided that while paying duty, the CENVAT credit shall be utilized only to the extent such credit is available on the last day of the month preceding the month for which duty is paid.

- (4) The CENVAT credit under sub-rule (1) shall be taken by the manufacturer on the basis of an invoice issued by a manufacturer for clearance of bulk packs of notified goods from his factory.
- (5) The manufacturer shall maintain proper records for the receipt, disposal, consumption and inventory of the bulk packs of notified goods used for manufacture of notified goods in which the relevant information regarding the value, duty paid, CENVAT credit taken and utilised, the person from whom such bulk packs have been procured is recorded and the burden of proof regarding the admissibility of the CENVAT credit shall lie upon the manufacturer taking such credit.
- (6) Where the CENVAT credit has been taken or utilised wrongly, the same along with interest shall be recovered from the manufacturer and the provisions of sections 11A and 11AA of the Act, shall apply *mutatis mutandis* for effecting such recoveries:

Provided that all such bulk packs of notified goods on which CENVAT credit has been wrongly taken or utilised wrongly shall be liable to confiscation and the manufacturer shall be liable to a penalty not exceeding the duty on such bulk packs of notified goods:

Provided further that in a case, where the CENVAT credit has been taken or utilised wrongly on account of fraud, wilful mis-statement, collusion or suppression of facts, or contravention of any of the provisions of the Act or the rules made thereunder with intention to evade payment of duty, then, the manufacturer shall also be liable to pay penalty in terms of the provisions of section 11AC of the Act.

- (7) Except as provided in this rule, no other provisions of the CENVAT Credit Rules, 2017 shall apply in relation to the notified goods.
- 21. Factories ceasing to work. Notwithstanding anything contained in these rules, where a manufacturer permanently ceases to work in respect of all the machines installed in the factory and who has filed an intimation for surrender of registration with the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, with a copy to the jurisdictional Superintendent of Central Excise, for this purpose, the duty payable by him for the month in which he so ceases to work permanently shall be calculated on the pro rata basis of the total number of days in the said month and total number of days before the date of receipt of said intimation with the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, and the duty paid for the month in accordance with rule 9 shall be adjusted towards the duty so calculated and on such adjustment, if there is any excess payment, it shall be refunded to the manufacturer by the 20th day of the following month and deficiency, if any, shall be payable by him by the 6th day of the following month.

Explanation. - For the purposes of this rule, "ceases to work" shall not include a manufacturer who ceases to operate his factory for one or two shifts only.

- **22. Penalty for contraventions, etc.** (1) Subject to the provisions of section 11AC of the Act, if any manufacturer produces or removes notified goods in contravention of any provision of these rules, then, all such goods shall be liable to confiscation, and the manufacturer shall be liable to a penalty not exceeding the duty leviable on the notified goods in respect of which aforesaid contravention has been committed.
- (2) If it is found that goods have been manufactured in or cleared from a unit which is not registered with the jurisdictional Central Excise Office, then, the duty liability of such unit shall be determined on the basis of number of

packing machines found available in the premises of the unit and the retail sale price of the pouches manufactured with the aid of such packing machines and unless evidence to the contrary is provided to the satisfaction of the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, such machines shall be deemed to have been in operation, from 1st February, 2026, or the last five years, whichever is later, and shall be construed as operating packing machines for the purposes of rule 6 and dealt with accordingly.

- (3) If the manufacturer fails to furnish recorded CCTV footage to the jurisdictional Additional Commissioner of Central Excise or Joint Commissioner of Central Excise as the case may be, within forty-eight hours, the manufacturer shall be liable to a penalty as per provisions of the Act.
- **23. Provisions to apply to notified goods.** Except as herein provided, all provisions of the Central Excise Rules, 2017, including those relating to maintenance of daily stock account, removal of goods on invoice, filing of returns and recovery of dues shall apply *mutatis mutandis* to the notified goods.
- 23. Certain goods to be deemed notified goods. Save as otherwise provided in these rules, for the purposes of these rules, all goods shall be deemed to have been manufactured or produced with the aid of a packing machine, if they are cleared from a factory where a packing machine is installed, irrespective of whether it is in use or not, or is in working condition or not.

[F. No. CBIC-190349/72/2025-TRU]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

FORM CE DEC-01

[See Rule 6 of Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco and Gutkha Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2026]

Declaration of machines for the manufacture of notified goods under Section 3A of the Central Excise Act, 1944

1. Basic Information

1.	Central Excise Registration No.	
2.	Legal Name	[Auto Fetched from Registration Details]
3.	Trade Name, if any	[Auto Fetched from Registration Details]
4.	Address of the Factory / Premises	[Auto Fetched from Registration Details]
5.	Address of other premises manufacturing the	
	same products	
6.	GSTIN	
7.	Date of Filing	DD / MM / YYYY

2. Declaration	Type	(Tick	one))
----------------	------	-------	------	---

[] Initial Declaration (Rule 6(1))
[] Change in Declaration (Rule 6(3) - Change in parameters)
[] New Installation / Addition / Commencement of operation of any machine (Rule 6(6))

3. Details of Notified Goods and Denomination of Retail Sale Prices to be manufactured during the financial year

(Refer to Section 3Aof the Act)

Sl. No.	Tariff item	Description of Goods (e.g., Chewing Tobacco)	Brand Name(s)	Denomination of Retail Sale Price
1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
2				

4. Details of Machines Available

(Refer Rule 6 of the specified Rules)

S	Mak	Mod	Name	Mac	Add	Date	No.	Gear	Revol	Num	RSP	Natu	Packi	Total	Regist	Wor
l.	e (if	el	of	hine	ress	of	of	Box	ution	ber	of	re of	ng	packi	ration	king
N	avail	No.	manuf	No.	of	purc	track	Ratio	Per	of	pou	Pack	capac	ng	No. of	stat
0.	able)	(if	acturer		the	hase	S	of the	Minu	Funn	ches	ing	ity of	capac	the	us
		avail			fact		(only	Mac	te of	els	(in	(e.g.,	each	ity of	machi	(Y/N
		able)			ory		for	hine	main	(only	Rs)	Pouc	track	the	ne)
					or		vertic		moto	for		h,	(Maxi	machi		
					pre		al	(as	r	horiz		Tin,	mum	ne for		
					mise		mach	per		ontal		Cont	No.	a		
					s		ines)	certif	(as	mach		ainer)	of	specif		
							(as	icate	per	ines)			packa	ic		
							per	of	certifi	(as			ges	weigh		
							certif	Char	cate	per			which	t of		
							icate	tered	of	certif			can	packa		
							of	Engi	Chart	icate			be	ge to		
							Char	neer)	ered	of			packe	be		
							tered		Engin	Char			d for	packe		
							Engi		eer)	tered			a	d in a		
							neer)			Engi			partic	minut		
										neer)			ular	e		
													weigh	(Maxi		
													t of	mum		
													packa	Rated		
													ge in	Speed		
													a)		
													minut			
													e)			
((2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																
)																

5. Details of Machines Installed out of (4) above

(Refer Rule 6 of the specified Rules)

Part A: Existing Machines

S	Mak	Mod	Name	Mac	Add	Date	No.	Gear	Revo	Num	RS	Natu	Pack	Total	Regist	Wor
l.	e (if	el	of	hine	ress	of	of	Box	lutio	ber	P of	re of	ing	pack	ration	king
N	avail	No.	manuf	No.	of	purc	track	Rati	n Per	of	pou	Pack	capa	ing	No. of	stat
0.	able)	(if	acture		the	hase	s	o of	Minu	Funn	che	ing	city	capa	the	us
		avail	r		fact		(only	the	te of	els	s	(e.g.,	of	city	machi	(Y/
		able)			ory		for	Mac	main	(only	(in	Pouc	each	of the	ne	N)
					or		vertic	hine	moto	for	Rs)	h,	track	mach		
					pre		al		r	horiz		Tin,	(Max	ine		
					mise		mach	(as		ontal		Cont	imu	for a		
					s		ines)	per	(as	mach		ainer	m	speci		
							(as	certif	per	ines))	No.	fic		
							per	icate	certif	(as			of	weig		
							certif	of	icate	per			pack	ht of		
							icate	Char	of	certif			ages	pack		
							of	tered	Char	icate			whic	age		

							Char tered Engi neer)	Engi neer)	tered Engi neer)	of Char tered Engi neer)			h can be pack ed for a partic ular weig ht of pack age in a	to be pack ed in a minu te (Max imu m Rate d Spee		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	in a minu te) (14)	Spee d) (15)	(16)	(17)

Part B: Newly Added Machines (If applicable)

S 1. N o.	Mak e (if avail able)	Mod el No. (if avail able)	Name of manuf acture r	Mac hine No.	Add ress of the fact ory or pre mise s	Date of purc hase	No. of track s (only for vertic al mach ines) (as per certif icate of Char tered Engi neer)	Gear Box Rati o of the Mac hine (as per certif icate of Char tered Engi neer)	Revo lutio n Per Minu te of main moto r (as per certif icate of Char tered Engi neer)	Num ber of Funn els (only for horiz ontal mach ines) (as per certif icate of Char tered Engi neer)	RS P of pou che s (in Rs)	Natu re of Pack ing (e.g., Pouc h, Tin, Cont ainer)	Pack ing capa city of each track (Max imu m No. of pack ages whic h can be pack ed for a partic ular weig ht of pack age in a minu	Total pack ing capa city of the mach ine for a speci fic weig ht of pack age to be pack ed in a minu te (Max imu m Rate d Spee d) (8)	Regist ration No. of the machi ne	Working stat us (Y/ N)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		-	(16)	(17)

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 27

6. Change in Details (For Declaration under Rule 6(6))

(Enter the serial No. of the machine and the previously given details in table 5 will be auto-fetched. The details in the rows where parameters have been changed may be edited)

Sl	Registra	Locatio	No. of	Natur	Gear	Revolu	Numb	Weig	RSP	Packin	Total	Work	Date of
	tion No.	n of	tracks	e of	Box	tion	er of	ht of	of	g	packin	ing	change
N	of the	installa	(only	Packin	Ratio	Per	Funnel	packa	packa	capacit	g	status	in any
0.	machine	tion	for	g (e.g.,	of the	Minute	s (only	ges	ges	y of	capacit	(Y/N)	param
	(Generat		vertica	Pouch,	Machi	of main	for	which	packe	each	y of the		eter
	ed		1	Tin,	ne	motor	horizon	can be	d (in	track	machin		listed.
	during		machi	Contai		(as	tal	packe	Rs)	(No. of	e for a		
	submissi		nes)	ner)	(as	certifie	machin	d on		packag	specific		
	on of				certifie	d by	es)	the		es	weight		
	PART A				d by	Charte	(as	machi		which	of		
	in				Charte	red	certifie	ne (in		can be	packag		
	column				red	Engine	d by	grams		packed	e to be		
	14)				Engine	er)	Charte)		for a	packed		
					er)		red			particul	in a		
							Engine			ar	minute		
							er)			weight	(Maxi		
										of	mum		
										packag	Rated		
										e in a	Speed)		
										minute			
)			
										(as			
										certifie			
										d by			
										Charte			
										red			
										Engine			
										er)			
(1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
()	()	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)		\ -/	` ´		(-)	

7. Details of the intimation of the machines furnished to other departments.

Sl. No.	Date of	Name of Govt. department / any other agency or	Details of declaration
	intimation	organisation.	(Proof to be uploaded as
			pdf)
(1)	(2)	(3)	(4)

8. Disposal of Packing Machines (To be filed as an amendment)

Sl. No.	Registration No. of the machine	Date of disposal	Reason of disposal
			(Supplied/ Condemned)
(1)	(2)	(3)	(4)

CIN date

9. Ground plan and details of the part or section of the factory premises intended to be used by manufacturer for manufacture of notified goods of different denomination of retail sale prices and the number of machines intended to be used in each of such part or section. (Details to be uploaded as pdf)

10. Details of CCTV surveillance system installed in the premises

Sl. No.	Date of installation	Number of CCTV cameras installed	Area/Section where installed
(1)	(2)	(3)	(4)

I	. 1		
Documents Uploaded			
1. [] Technical Specific	cation Sheet of Machines (Manus	facturer's Manual)	
2. [] Certificate from C	Chartered Engineer (certifying spo	eed and capacity of the machin	nes)
3. [] Layout Plan of the	e Factory indicating machine loca	ations	
4. [] Other Department	t Intimation Declaration		
5. [] Others:			
11. Verification			
I.	(Name of Authorized S	Signatory), son/daughter of	. hereby
	re that the information given here		
	been concealed therefrom. I und		
under the Central Excise A	ct, 1944 and rules made thereund	der.	_
Place:			
Date:			
(Signature)			
Name:			
Designation:			
	FORM C	E PMT-01	
	[See rul	le 13(2)]	
1. Manufacturer Details:			
Central Excise		e-mail address	
Registration			
Number			
Mobile No.		Manufacturer Name	
Address			
2. Challan details			
CIN Number			

•					TO 1	
.j.,	J m	risd	110	tion	Deta	HIS

Commissionerate	
Commissionerate code	
Division	
Division Code	
Range	
Range Code	

4. Duty Payment Details

Particulars	Accounting Code	Accounting Code Type	Amount (in Rs.)
Duty			
Interest			
Penalty			
Any other			
Total Amount			

Total amount (in words):

5. Details of Abatement allowed by the Deputy Commissioner/ Assistant Commissioner:

Sl. No.	Machine Registration No.	Total duty liability for the machine (Rs.)	No. of Days the machine was inoperative in the previous month	Net Abatement Claimed	Order of abatement reference Number*	Order of abatement date
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
Total						

• (Order	of	abatement	to t	be at	tached.
-----	-------	----	-----------	------	-------	---------

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place	:	•	•		•		•	•	•••	
Date										

Name of the Manufacturer/ Authorised Signatory
Designation

FORM CE CCE-01

[See Rule 6(2)]

Certificate of Chartered Engineer

1. Details of the Manufacturer

1. Central Excise Registration No.	
2. Legal Name	
3. Trade Name	
4. Address of Factory	

2. Details of Machines Examined

(To be filled by the Chartered Engineer after physical verification of the machines installed at the factory premises)

Sl. No.	Make / Model	Name of Manufacturer	Machine No. (Serial No.)	Machine Reg. No. (If already assigned by System)	No. of Tracks	Gear Box Ratio of the Machine	Revolution Per Minute of main motor	Number of Funnels	Packing Capacity of each Track or funnel (pouches per minute)	Total Packing Capacity of the Machine (Maximum Rated Speed) (pouches per minute)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											

3. Certification

	I	hereb	y certify	that:
--	---	-------	-----------	-------

1.	I have personally examined the (number) machines listed in the table above at the factory premises of the
	on (Date of Inspection).
2.	The details furnished in the table above, specifically the Maximum Rated Speed (Column 11) is true and correct
	to the best of my knowledge and belief based on the technical specifications and physical verification of the

- 3. I have verified that the machines are not capable of the production speeds more than that declared herein.
- 4. Nothing has been concealed or misrepresented regarding the capacity of the machines which would impact the liability of duty under the Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco and Gutkha Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2025.

Date:	
Place:	
(Signature of Chartered Engineer)	
Name:	
Membership / Registration No.:	
Address:	
Mobile No.:	
Email ID:	

Instructions for the Chartered Engineer:

- **1. Column 11 (Total Packing Capacity):** This is the **Maximum Rated Speed**. It should be calculated as: (Capacity per track or funnel) × (Number of tracks or funnel).
- **2. Modifications:** If a machine has been modified to alter its speed or capacity, the certificate must reflect the *current* actual maximum capacity, not just the manufacturer's original specification.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 06/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 954(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है,, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), दिनांक 1 फरवरी, 2022 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सरकारी अधिसूचना पत्र संख्या 91(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 2 के विरुद्ध, कॉलम (3) में, शब्दों "तंबाकू युक्त पान मसाला" के स्थान पर शब्द "गृटखा" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/72/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 01/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), दिनांक 1 फरवरी, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सरकारी अधिसूचना पत्र संख्या 91(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 06/2025-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 954(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2022-Central Excise (N.T.), dated the 1st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 91(E), dated the 1st February, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table, against Sl. No. 2, in Column (3), for the words "Pan masala containing tobacco", the words "Gutkha" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of February, 2026.

[F. No. CBIC-190349/72/2025-TRU]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 01/2022-Central Excise (N.T.), dated the 1st February, 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 91(E), dated the 1st February, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 03/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 955(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 486(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के स्थान पर, ऐसे निरसन से पहले किए गए या न किए गए कार्यों को छोड़कर, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा उत्पाद शुल्क अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद, जो नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं और नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन वाली वस्तुएं जिन पर उत्पाद शुल्क लगता है, को उक्त अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देता है जितना उक्त तालिका के स्तंभ (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर परिकलित राशि से अधिक है:

तालिका

क्रम सं.	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	वस्तुओं का वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2401	सभी माल	18%
2.	2402 10	सभी माल	21% या रु. 4170 प्रति हजार
3.	2402 20 10	फिल्टर रहित सिगरेट, 65 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की	रु. 2050 प्रति हजार
4.	2402 20 20	फिल्टर रहित सिगरेट, 65 मिलीमीटर से अधिक किंतु 70 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की	रु. 3600 प्रति हजार
5.	2402 20 30	फिल्टर वाली सिगरेटे (फिल्टर की लंबाई सहित, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई जो भी अधिक हो) 65 मिलीमीटर से अनिधक लंबाई की	रु. 2100 प्रति हजार
6.	2402 20 40	फिल्टर वाली सिगरेट (फिल्टर की लंबाई सहित, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई जो भी अधिक हो) 65 मिलीमीटर से अधिक किंतु 70 मिलीमीटर से अनिधक लंबाई की	रु. 4000 प्रति हजार
7.	2402 20 50	फिल्टर वाली सिगरेट (फिल्टर की लंबाई सहित, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई जो भी	रु. 5400 प्रति हजार

		अधिक हो) 70 मिलीमीटर से अधिक किंतु 75 मिलीमीटर	
		से अनधिक लंबाई की	
8.	2402 20 90	अन्य	रु. 8500 प्रति
			हजार
9.	2402 90 10	तंबाकू अनुकल्प की सिगरेट	रु. 4006 प्रति
			हजार
10.	2402 90 20	तंबाकू अनुकल्प की सिगारिलो	12.5% या रु.
			4006 प्रति हजार,
			जो भी अधिक हो
11.	2402 90 90	अन्य	12.5% या रु.
			4006 प्रति हजार,
			जो भी अधिक हो
12.	2403 11 10	'हुक्का' या 'गुड़कू' तंबाकू	33%
13.	2403 11 90	अन्य	शून्य
14.	2403 19 10	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूमपान मिश्रण बीड़ी	279%
15.	2403 19 90	अन्य धूमपान तंबाकू	19%
16.	2403 91 00	"समांगीकृत" या "पुनरर्चित" तंबाकू	60.5%
17.	2403 99 10	चबाने वाली तंबाकू	82%
18.	2403 99 20	चबाने वाली तंबाकू की विनिर्मितियां	60.5%
19.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तंबाकू	82%
20.	2403 99 40	नस्वार	60.5%
21.	2403 99 50	नस्वार वाली निर्मितियां	60.5%
22.	2403 99 60	तंबाकू, निष्कर्ष और सत्व	57%
23.	2403 99 70	कटा हुआ तंबाकू	8%
24.	2403 99 90	गुटखा	91%
25.	2403 99 90	सभी माल (गुटखा के अलावा)	81%
26.	2404 11 10	तंबाकू या पुनर्गठित तंबाकू युक्त उत्पाद	60.5%
27.	2404 19 00	अन्य	60.5%

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/72/2025-टीआरयू] धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 03/2025-Central Excise

G.S.R. 955(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Excise Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 486(E), dated the 6th July, 2019, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the Fourth Schedule to the Excise Act, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise specified thereon under the said Schedule to the Excise Act, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:

TABLE

SI. No.	Heading or subheading or tariff item	Rate	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2401	All Goods	18%
2.	2402 10	All Goods	21% or Rs. 4170 per thousand
3.	2402 20 10	Other than filter cigarettes, of length not exceeding 65 millimetres	Rs. 2050 per thousand
4.	2402 20 20	Other than filter cigarettes, of length exceeding 65 millimetres but not exceeding 70 millimetres	Rs. 3600 per thousand
5.	2402 20 30	Filter cigarettes of length (including the length of the filter, the length of filter being 11 millimetres or its actual length, whichever is more) not exceeding 65 millimetres	Rs. 2100 per thousand
6.	2402 20 40	Filter cigarettes of length (including the length of the filter, the length of filter being 11 millimetres or its actual length, whichever is more) exceeding 65 millimetres but not exceeding 70 millimetres	Rs. 4000 per thousand
7.	2402 20 50	Filter cigarettes of length (including the length of the filter, the length of filter being 11 millimetres or its actual length, whichever is more) exceeding 70 millimetres but not exceeding 75 millimetres	Rs. 5400 per thousand
8.	2402 20 90	Other	Rs. 8500 per thousand
9.	2402 90 10	Cigarettes of tobacco substitutes	Rs. 4006 per thousand
10.	2402 90 20	Cigarillos of tobacco substitutes	12.5% or Rs. 4006 per thousand, whichever is higher
11.	2402 90 90	Other	12.5% or Rs. 4006 per thousand, whichever is higher
12.	2403 11 10	Hukkah or gudaku tobacco	33%
13.	2403 11 90	Other	Nil
14.	2403 19 10	Smoking mixtures for pipes and cigarettes	279%
15.	2403 19 90	Other	19%
16.	2403 91 00	"Homogenised" or "reconstituted" tobacco	60.5%

17.	2403 99 10	Chewing tobacco	82%
18.	2403 99 20	Preparations containing chewing tobacco	60.5%
19.	2403 99 30	Jarda scented tobacco	82%
20.	2403 99 40	Snuff	60.5%
21.	2403 99 50	Preparations containing snuff	60.5%
22.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence	57%
23.	2403 99 70	Cut-tobacco	8%
24.	2403 99 90	Gutkha	91%
25.	2403 99 90	All goods (Other than Gutkha)	81%
26.	2404 11 10	Containing tobacco or reconstituted tobacco	60.5%
27.	24041900	Other	60.5%

2. This notification shall come into force on the 1st February, 2026.

[F. No. CBIC-190349/72/2025-TRU]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 04/2025-केंद्रीय उत्पाद श्ल्क

सा.का.नि. 956(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चतुर्थ अनुसूची की टैरिफ मद 2403 99 10 के अंतर्गत आने वाली चबाने वाली तंबाकू, उक्त अनुसूची की टैरिफ मद 2403 99 30 के अंतर्गत आने वाली जर्दा सुगंधित तंबाकू और उक्त अनुसूची की टैरिफ मद 2403 99 90 के अंतर्गत आने वाली गुटखा (जिसे आगे अधिसूचित वस्तुएं कहा जाता है) को निर्दिष्ट करता है, जो पैकिंग मशीन की सहायता से निर्मित की जाती हैं और नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट खुदरा विक्रय मूल्य वाली पाउच में पैक की जाती हैं, और उक्त तालिका के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) या स्तंभ (6) या स्तंभ (7) या स्तंभ (8) या स्तंभ (9) या स्तंभ (10) में संबंधित प्रविष्टियों में निर्दिष्ट शुल्क की दरें, यथास्थिति, निम्नलिखित हैं:-

तालिका

क्रम सं.	खुदरा विक्रय मूल्य (प्रति थैली)	प्रति	पैकिंग मशीन प्रा	ते माह शुल्क की	दर (करोड़ रुपये में)	प्रति	पैकिंग मशीन प्रा	ते माह शुल्क की	दर (करोड़ रुपये में)
			चबाने वाली तं	बाकू और जर्दा सु	गंधित तंबाकू	गुटखा			
		500 तक प्रति मिनट	501-1000 प्रति मिनट	1001- 1500 प्रति मिनट	1501 प्रति मिनट और ऊपर	500 तक प्रति मिनट	501-1000 प्रति मिनट	1001- 1500 प्रति मिनट	1501 प्रति मिनट और ऊपर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2 रु. तक	0.83	1.66	2.49	(0.83xS)/450	0.92	1.84	2.76	(0.92xS)/450
2	2 रु. से	0.83 या	1.66 या	2.49 या	(0.83xS)/450 या	0.92 या	1.84 या	2.76 या	(0.92*S)/450 या
	अधिक	0.38xR जो	0.75xR जो	1.13xR जो	(0.38xRxS)/450 जो भी	0.41xR जो	0.83xR जो	1.24xR जो	(0.41xRxS)/450 जो भी
		भी अधिक	भी अधिक	भी अधिक	अधिक हो	भी अधिक	भी अधिक	भी अधिक	अधिक हो
		हो	हो	हो		हो	हो	हो	

जहां 'S' उपरोक्त में पैर्किंग मशीन की गति को प्रति मिनट दर्शाता है जिसके लिए शुल्क की दर निर्धारित की जानी है; और 'R' उपरोक्त में पाउच के ख़ुदरा विक्रय मूल्य को दर्शाता है जिसके लिए शुल्क की दर निर्धारित की जानी है।

दृष्टांत 1.- एक चबाने वाली तंबाकू या फिल्टर खैनी या जर्दा सुगंधित तंबाकू के लिए प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह शुल्क की दर जिसका खुदरा विक्रय मूल्य 8.00 रु. है (अर्थात् 'R') 500 प्रति मिनट तक गति की मशीन के लिए = रु. 0.38x8 = 3.04 करोड़ रु. होगी।

दृष्टांत 2.- एक चबाने वाली तंबाकू या फिल्टर खैनी या जर्दा सुगंधित तंबाकू के लिए प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह शुल्क की दर जिसका खुदरा विक्रय मूल्य $8.00 \ varpoonup varpoonup$

दृष्टांत 3.- एक गुटखा के लिए प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह शुल्क की दर जिसका खुदरा विक्रय मूल्य 8.00 रु. है (अर्थात् 'R') 500 प्रति मिनट तक गति की मशीन के लिए = रु. 0.41x8 = 3.28 करोड़ रु. होगी।

दृष्टांत 4.- एक चबाने वाली तंबाकू और जर्दा सुगंधित तंबाकू के लिए प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह शुल्क की दर जिसका खुदरा विक्रय मूल्य 8.00 रु. है (अर्थात् 'R') 2500 प्रति मिनट और उससे अधिक गति के लिए = रु. (0.41x8x2500)/450 = 18.22 करोड़ रु. होगी।

व्याख्या.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्तिगत पैकिंग मशीन माना जाएगा;

- (क) टैरिफ मद 2403 99 10 के अंतर्गत आने वाली चबाने वाली तंबाकू में फिल्टर खैनी भी शामिल है;
- (ख) "पैिकंग मशीन" में सभी प्रकार की फॉर्म, फिल और सील (एफएफएस) मशीनें और प्रोफाइल पाउच निर्माण मशीन शामिल हैं, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारी जाएं, चाहे वह वर्टिकल हों या हॉरिजॉन्टल, कॉलर सहित या बिना, सिंगल-ट्रैक या मल्टी-ट्रैक, और विनिर्दिष्ट वस्तुओं की पाउच को पैक करने के लिए प्रयुक्त किसी अन्य प्रकार की पैिकंग मशीन; (ग) यदि मल्टीपल ट्रैक या मल्टीपल लाइन पैिकंग मशीनें हैं, तो ऐसी प्रत्येक ट्रैक या लाइन को शुल्क दायित्व की गणना
- (घ) "खुदरा विक्रय मूल्य" का अर्थ अधिकतम मूल्य है जिस पर निर्दिष्ट वस्तुएं पैकेज के रूप में अंतिम उपभोक्ता को बेची जा सकती हैं और इसमें सभी कर, स्थानीय या अन्यथा, मालभाड़ा, परिवहन शुल्क, डीलरों को देय आयोग, और विज्ञापन, डिलीवरी, पैकिंग, अग्रेषण और इसी तरह के सभी शुल्क शामिल हैं और मूल्य बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल है:

परंतु जहां पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हैं, ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय मूल्य माना जाएगा:

परंतु और यह भी कि यदि विनिर्दिष्ट वस्तुएं वाणिज्यिक पैकेजों में निकाली जाती हैं जिनमें खुदरा विक्रय मूल्य के साथ घोषित मानक पैकेज भी होती है, तो ऐसे घोषित खुदरा विक्रय मूल्य को तालिका में संदर्भित संबंधित क्रम संख्या के अंतर्गत शुल्क की गणना निर्धारित करने के लिए विचार में लिया जाएगा।

- 2. शुल्क की गणना के प्रयोजनों के लिए पैकिंग मशीनों की संख्या, चबाने वाली तंबाकू और अवनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2026 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- 3. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/72/2025-टीआरयू] धीरज शर्मा. अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 04/2025-Central Excise

G.S.R. 956(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby, specifies on, chewing tobacco falling under tariff item 2403 99 10 of the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Act), jarda scented tobacco falling under tariff item 2403 99 30 of the said Schedule of the Act and Gutkha falling under tariff item 2403 99 90 of the said Schedule of the Act (hereinafter referred to as notified goods), manufactured with the aid of packing machine and packed in pouches having retail sale prices as specified in column (2) of Table below, the rates of duty specified in the corresponding entries in column (3) or column (4) or column (5) or column (6) or column (7) or column (8) or column (9) or column (10), of the said Table, as the case may be, namely:-

TABLE

S. No.	Retail sale price (Per pouch)		Ra	te of duty p	er packing machi	ine per moi	nth (Rupee	in crores)	
		Chewing	g Tobacco ai	nd Jarda Sc	ented Tobacco			Gutkha	
		pouches	501 to 1000 pouches per minute	1500 nouches	1501 pouches per minute and above	Upto 500 pouches per minute	501 to 1000 pouches per minute	1001 to 1500 pouches per minute	1501 pouches per minute and above
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Upto Rs 2	0.83	1.66	2.49	(0.83xS)/450	0.92	1.84	2.76	(0.92xS)/450

	2		whichever	0.75xR whichever	1.13xR whichever	(0.38xRxS)/450 whichever is	0.41xR whichever	0.83xR whichever	whichever	(0.92xS)/450 or (0.41xRxS)/450 whichever is highe
--	---	--	-----------	---------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	-----------	---

Where 'S' above denotes speed of the pouch packaging machine per minute for which rate of duty is to be determined; and

Illustration 1. - The rate of duty per packing machine per month for a chewing tobacco or filter khaini or jarda scented tobacco having retail sale price of Rs. 8.00 (i.e. 'R') for upto 500 pouches per minute speed machine shall be = Rs. 0.38*8 = Rs 3.04 crores.

Illustration 2. - The rate of duty per packing machine per month for a chewing tobacco or filter khaini or jarda scented tobacco having retail sale price of Rs. 8.00 (i.e. 'R') for speed 2500 per minute and above shall be = Rs. (0.38*8*2500)/450 =Rs 16.88 crores.

Illustration 3. - The rate of duty per packing machine per month for a Gutkha having retail sale price of Rs. 8.00 (i.e. 'R') for upto 500 pouches per minute speed machine shall be = Rs. 0.41*8 = Rs 3.28 crores.

Illustration 4. - The rate of duty per packing machine per month for a chewing tobacco and jarda scented tobacco having retail sale price of Rs. 8.00 (i.e. 'R') for speed 2500 per minute and above shall be = Rs. (0.41*8*2500)/450 = Rs 18.22 crores.

Explanation. – For the purposes of this notification,-

- (a) Chewing tobacco under tariff item 2403 99 10 includes filter khaini;
- (b) "packing machine" includes all types of Form, Fill and Seal (FFS) machines and Profile Pouch Making Machine, by whatever names called, whether vertical or horizontal, with or without collar, single-track or multi-track, and any other type of packing machine used for packing of pouches of notified goods;
- (c) if there are multiple track or multiple line packing machines, each such track or line shall be deemed to be one individual packing machine for the purposes of calculation of the duty liability;
- (d) "retail sale price" means the maximum price at which the specified goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like and the price is the sole consideration for the sale:

Provided that where on the package, more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale prices shall be deemed to be the retail sale price:

Provided further that if the notified goods are cleared in wholesale packages containing a number of standard packages with retail sale price declared on them, then, such declared retail sale price shall be taken into consideration for determining the rate of duty under respective serial numbers referred to in the Table.

- 2. The number of packing machines for the purpose of computation of the rate of excise duty specified in the Table shall be determined in terms of the Chewing Tobacco and Unmanufactured Tobacco Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2026.
- 3. This notification shall come into force on the 1st day of February, 2026.

[F. No. CBIC-190349/72/2025-TRU] DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

^{&#}x27;R' above denotes retail sale price of the pouch for which rate of duty is to be determined.